गुढा थोड़ी की जमाबंदी संवत 2075-78 के अनुसार खाता सं. 1140 के प्रार्थी के नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह अंकित है। प्रार्थी ने आवेदन पत्र में व तहसीलदार के प्रतिवेदन के अनुसार नाम राजकुमार सिंह पुत्र मदन सिंह दुरुस्त किया जाना उचित है

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0 .....

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

रिपोर्ट पटवारी अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है

22.10.21

22.10.21
IAR

384
2021

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

तहसीलदार गुढा गौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 22/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	टोडी	2075-2078	1140	राजेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह	राजकुमार सिंह पुत्र मदन सिंह

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 273-274

दिनांक :- 22/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पा[illegible]
2. प्रार्थी / प्रार्थीया राजकुमार सिंह को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.05 10:59:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner